वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", न्यायाधीश, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज,ज्ञानशिखा टाइम्स" समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 24.07.2024

वीडीए ने छह जगहों पर 56 बीघे की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए ने मंगलवार को छह जगहों पर 56 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। इस दौरान एक अवैध निर्माण भी सील किया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार नगवा वार्ड के पहाड़ी के पास मनोज पटेल, प्रदीप पटेल व अन्य की ओर से 40 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसे ध्वस्त कराया गया। सारनाथ वार्ड के चोलापुर उदयपुर में बगैर नक्शा पास कराए मनीष मिश्रा की ओर से 3 बीघे और बलुआ में बलराम चौबे की ओर से 1 बीघे में अवैध प्लॉटिंग तोड़ी गई। शिवपुर वार्ड के दासेपुर में अशोक सिंह की ओर से 4 बीघे और बैजलपट्टी में धर्मेंद्र सिंह की 2 बीघे अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। महेंद्र सिंह की 6 बीघे की अवैध प्लॉटिंग भी तोड़ी गई। शिवपुर वार्ड के बाबतपुर जौनपुर बाईपास रोड पर राजेंद्र प्रसाद को नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस पर दोबारा अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 24.07.2024

वृंदानगर कॉलोनी में लगाए गए 50 पौधे

वाराणसी। वृंदानगर विकास समिति की ओर से वीडीए बोर्ड के सदस्य अंबरीश सिंह भोला की पहल पर वीडीए की ओर से 50 पेड़ और सुरक्षा के लिए 50 ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए। मंगलवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। वृंदा नगर कॉलोनी टकटकपुर, सरसौली में भोला ने आंवला का पौधा लगाया। कॉलोनी में आंवला, अमरुद, गुलमोहर, कचनार,आदि के पौधे लगाए गए। पौधों के संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर समिति के संरक्षक कमलेश नारायण सिंह, अनंगपाल सिंह, अध्यक्ष उदयभान सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 24.07.2024

३९ दूकानों पर चस्पा किया गया क्यूआर कोड

विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग के निर्देश पर जवाहर लाल नेहरू व्यवसायिक केन्द्र पर ३९ बकायेदारों को क्यूंआर कोड के आधार पर नोटिस चस्पा की गयी। संपत्ति अधिकारियों को मौके पर नौ दूकान बंद मिले और ३० दूकानों पर नोटिस चस्पा की गयी। उल्लेखनीय है कि निर्धारित समय के अंदर बकाया किराया न देने पर विप्रा किरायेदारों से दूकान खाली करायेगी और उसका आवंटन भी करेगी। इसी को देखते हुए दूकानों के बाहर क्यूआर कोड चश्पा किया गया।

आज–दि0 24.07.2024

५४ बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग करने पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सारनाथ वार्ड के मौजा पहाड़ी में बिना ले आउट स्वीकृत कराये काश्तकार मनोज पटेल और प्रदीप पटेल ४० बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। शिकायत के आधार पर मौके पर अवर अभियंता पहुंचे और ले आउट स्वीकृति का पत्र मांगने लगे किंतु काश्तकारों ने देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता आर.के.सिंह और अवध जैन सुपरवाइजर निकटम थाने की पुलिस के सहयोग से प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से जमीन पर हुये निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया और काश्तकारों को चेतावनी दी कि बिना ले आउट स्वीकृति के प्लाटिंग पर विधिक कारवाई होगी। जोन दो वार्ड सारनाथ मौजा-उदयपुर बिना ले-आउट स्वीकृति कराये मनोज मिश्र नामक व्यक्ति ने लगभग तीन बीघा पर अवैध प्लाटिंग का कार्य शुरू कर दिया था। मौके पर पहुंचे अभियंता और निकटम थाने की पुलिस के उपस्थिति में प्रवर्तन दल ने जेसीबी से प्लाटिंग पर किये गये कार्य को ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार मौजा-बसुआ में एक बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। वहां भी अभियंता के अलावा अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जेपी गुप्त, सुपरवाइजर प्रवर्तन दल ने पुलिस के सहयोग से जेसीबी से निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया। इसी क्रम में वार्ड शिवपुर मौजा-दासेपुर में मंगलवार को विप्रा अभियंताओं की टीम फिर पहुंची। टीम ने काश्तकार अशोक सिंह पर चार बीघा में प्लाटिंग करने की बात का सत्यापन किया। शिवपुर में ही मौजा-बैजलपट्टी में धर्मेंद्र सिंह दो बीघा और महेंद्र सिंह छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग की कारवाई कर रहे थे। इनमें से किसी काश्तकार ने ले आउट की स्वीकृति विभाग से नहीं प्राप्त की थी। शिकायत के आधार पर अधिकारियों की टीम मंगलवार को प्लाटिंग पर किये गये निर्माण को ध्वस्त करा दिया। टीम में अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अम्बरीश कुमार शर्मा, सुपरवाइजर और प्रवर्तन दल के साथ निकटम थाने की पुलिस मौजूद थी।

शिवपुर में भवन हुआ सील

वार्ड शिवपुर-मौजा बाबतपुर के तहत राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति ने बिना मानचित्र स्वीकृति प्राप्त किये भूतल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। मौके पर पहुंचे अवर अभियंता ने देखा कि भूतल पर आरसीसी कालम और दिवार खड़ा कर दिया गया था। उसको देखते हुए २४ अगस्त सन २०२३ में भवन स्वामी को कारण बताओ नोटिस के अलावा काम बंद करने का निर्देश दिया गया था लेकिन भवन स्वामी द्वारा दी गई नोटिस में दी गयी बातों को दर किनार करके निर्माण कार्य जारी रखा। अवर अभियंता ने बताया कि भवन स्वामी छुट्टी और रात्रि के समय कार्य करा रहा था। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, सहायक अभियंता अंबरीश कुमार ने निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया और निकटम थाने को प्रतिरक्षा के रूप में सौंप दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान– 24.07.2024

वीडीए ने 47 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने मंगलवार को अलग-अलग क्षेत्रों में 47 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। नगवां वार्ड के पहाड़ी में 40 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। सारनाथ वार्ड के चोलापुर में उदयपुर क्षेत्र में एक बीघा और शिवपुर वार्ड के दासेपुर में 4 बीघा क्षेत्रफल में तथा शिवपुर वार्ड में 8 बीघा में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया।

ज्ञानशिखा टाइम्स– 24.07.2024

विकास प्राधिकरण वाराणसी प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड–सारनाथ, थाना–चोलापुर, मौजा–उदयपुर के अन्तर्गत बिना ले–आउट स्वीकृत कराये मनीष मिश्रा द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर तथा बलराम चौबे द्वारा मौजा–बलुआ, थाना–चोलापुर के अन्तर्गत लगभग 01 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी द्य उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 23/07/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया । मौके पर अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जे0 पी0 गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्याधीश– 24.07.2024

वाविप्रा द्वारा चलाया गया अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण अभियान

वाराणसी।-वाविप्रा जोन-2 के प्रवर्तन टीम द्वारा उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया ।इसके तहत वार्ड-सारनाथ, मौजा -मिलकोपुर मे रिंग रोड के समीप बिना ले-आउट स्वीकृत कराए मोनू सिंह एवं बटुक सिंह द्वारा लगभग 4 बीघा क्षेत्रफल जिसका आराजी नंबर-64 है पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी जिसका उपाध्यक्ष की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई तथा अवैध प्लॉटिंगकर्ता के विरुद्ध थाना सारनाथ में एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी गई ।तथा वार्ड-सारनाथ, मौजा-बराई में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 4 बीघा क्षेत्रफल पर पप्पू यादव द्वारा अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी जिसपर प्राधिकरण द्वारा पुर्व में ध्वस्तीकरण कार्यवाही की गई थी इसके बावजूद पुनः अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी जिसके क्रम में 22जुलाई को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई साथ ही अवैध प्लॉटिंगकर्ता के विरुद्ध थाना सारनाथ में एफआईआर दर्ज कराने हेतु तहरीर दी गई ।मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार तथा अवर अभियंता जे0 पी0 गुप्ता उपस्थित रहे। इसी क्रम में वार्ड-सारनाथ, थाना-चोलापुर, मौजा-उदयपुर के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये मनीष मिश्रा द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर तथा बलराम चौबे द्वारा मौजा-बलुआ, थाना-चोलापुर के अन्तर्गत लगभग 01 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी ट उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 23जुलाई को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।इस मौके पर अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जे0 पी0 गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।इसके अलावा वार्ड-नगवां, मौजा-पहाड़ी के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये मनोज पटेल, प्रदीप पटेल व अन्य द्वारा लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी । उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 23जुलाई को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।इस दौरान जोनल अधिकारी श्री प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियन्ता श्री आर0के0 सिंह व श्री अजय कुमार जैन एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

30 दुकानों में क्यू0आर0 कोड चस्पा

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जवाहर लाल नेहरू व्यवसायिक केंद्र में कुल 39 बकाएदारों के यहां क्यू0आर0 कोड

लगाना था , जिसमे 9 दुकानों को मौके पर बंद पाए जाने के कारण 30 दुकानों में संपत्ति अधिकारी द्वारा 22जुलाई को क्यू0आर0 कोड चस्पा कराया गया है ।